"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. सें. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2010—भाद्र 5, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-07-2010 द्वारा श्री देवी दयाल सिंह, भा.प्र.से. (2000) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-7-2010 द्वारा श्री एस. एल. रात्रे, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग को सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री रात्रे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री सुनील कुमार कुजुर, भा.प्र.से. (1986) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, भू-अभिलेख तथा आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. (1991) सचिव, सहकारिता एवं गृह विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थायें का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री के. श्रीनिवासुलु, भा.प्र.से. (एस. के.-1994) पंजीयक, सहकारी संस्थायें, आयुक्त भू-अभिलेख, आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर को आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्रमांक ई 1-5/2006/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2008 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर, उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम/वर्तमान पदस्थापना	जिले का नाम जहां अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किये गये
1.	श्री राजेश सिंह राणा, सहायक कलेक्टर, रायपुर	अनुविभागीय अधिकारी, कोंडागांव, जिला-बस्तर
2.	श्री निखिल गजराज, सहायक कलेक्टर, बिलासपुर	अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया
3.	सुश्री शिखा राजपूत, सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव	अनुविभागीय अधिकारी, कटघोरा, जिला-कोरबा
4.	श्री भीम सिंह, सहायक कलेक्टर, सरगुजा	अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़, जिला-रायगढ़
5.	श्री नीरज कुमार बंसोड़, सहायक कलेक्टर, दुर्ग	अनुविभागीय अधिकारी, दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा).

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय. उम्मेन, मुख्य सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 6-12/2010/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत प्रस्तावित पदस्थापना
1.	श्री एच. आर. ध्रुव, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, महासमुन्द वृत्त.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5.
2.	श्री यादव सिंह कंवर, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, महासमुंद वृत्त.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायगढ़ वृत्त-1.
3.	श्री टी. डी. पटेल, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-8.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-1.
4.	श्री जी. आर. चाकोले, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-2.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त.
5.	श्री मुरारी लाल नथानी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-4.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-2.
6.	श्री जी. एस. मरकाम, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-8.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त (प्रवर्तन) वाणिज्यिक कर, बिलासपुर.
7.	श्री एम. पी. एस. मंडावी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-1.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नति में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पदोन्नति) नियम, 2003" तथा उक्त नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2001/1/3, दिनांक 11-02-2008 द्वारा जारी किये गये पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-17/2010/16.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-7/श्र.क.मं./16/02, दिनांक 09-09-2004 को निरस्त करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन, कार्य प्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों के अधीन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन करता है :—

1. अध्यक्ष - श्री अरूण चौबे
2. उपाध्यक्ष - श्री ज्ञानेन्द्र मौर
3. सचिव - कल्याण आयुक्त, छ. ग. श्रम कल्याण मंडल
4. **स्वतंत्र शासकीय सदस्य—**
   1. प्रमुख सचिव, श्रम
   2. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
   3. आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि, रायपुर
   4. उप कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, रायपुर
5. **नियोजक प्रतिनिधि—**
   1. महाप्रबंधक, भिलाई इस्पात संयंत्र (औद्योगिक संबंध) जिला दुर्ग या उनके प्रतिनिधि
   2. महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. विकास भवन, जमनीपाली, कोरबा या उनके प्रतिनिधि
   3. महाप्रबंधक, जिंदल स्टील एवं पावर प्लांट, रायगढ़ या उनके प्रतिनिधि
   4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सीमेंट उद्योग एसोसियेशन
   5. अध्यक्ष, उरला इंडस्ट्रियल एसोसियेशन या उनके प्रतिनिधि
6. **कर्मचारियों के प्रतिनिधि—**
   1. श्री योगेशदत्त मिश्रा, ब्राम्हणपारा, राजनांदगांव (भा.म. संघ)
   2. श्री शिव कश्यप, उज्जवनगर बी/132, एन.टी.पी.सी. सीपत बिलासपुर (भा.म. संघ)
   3. श्री राजेन्द्र मिश्र, 511/बी/3 बालको नगर कोरबा
   4. श्री एम. ए. इकबाल, इण्टक, रायपुर
   5. श्री दुष्यंत तिवारी, रायपुर स्टीट 25/45, ब्राम्हणपारा, रायपुर
   6. श्री नूतनेश्वर खोबरागड़े, एटक रायपुर
7. **स्वतंत्र सदस्य—**
   1. श्रीमती सरिता शर्मा, अधिवक्ता, म. नं. 394, सेल्सटेक्स कालोनी, खम्हारडीह, रायपुर
   2. श्रीमती रामबाई साहू, पूर्व पार्षद, सोमवारी बाजार, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर
   3. श्री अनिल द्विवेदी, पत्रकार, दुबे कालोनी, रायपुर
   4. श्री गेंदलाल साहू, ग्राम किरवई राजिम जिला रायपुर
   5. श्री ईतवारी राम चक्रधारी, ग्राम नवागांव पो-लखना, व्हाया-नवापारा जिला रायपुर
   6. श्री रामदयाल वारिशे (अ.ज.जा.) नगरी सिहावा, जिला धमतरी
   7. श्री गोरलाल बघेल, पिता श्री चक्रधर बघेल, (अ. जा.) मु. पो. देवभोग, जिला रायपुर

2. उक्त समिति छ. ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 4 के उपधारा (3) के खण्ड "ख" एवं "ग" के अधीन नाम-निर्देशित सदस्यों की पदावधि नाम निर्देशन की तारीख से 03 वर्ष तक प्रभावशील होगी. उक्त अवधि समाप्त होने पर आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-06/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी, 2010 को दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय प्रश्न पत्र दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी, में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	प्रथम प्रश्न पत्र (4)
02.	श्री के. सी. देव सेनापति	अनु. विभा. अधि. (IAS)	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-13/गृह-दो/परीक्षा/2010.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों, राज्य की नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री टी. सी. मेवाड़े	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री मनीषा राजगीर	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-16/गृह-दो/परीक्षा/2010.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20-01-2010 को प्रश्न पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री ओंकार यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-23/गृह-दो/परीक्षा/2010.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी 2010 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि प्रश्नपत्र-2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री विश्वेश कुमार (IFS)	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-33/गृह-दो/परीक्षा/2010.—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी 2010 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेश कुमार बंजारे	उप संचालक, जिला योजना	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-35/गृह-दो/परीक्षा/2010.—नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी 2010 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सम्पत राम मौर्य	रसायनज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-36/गृह-दो/परीक्षा/2010.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी 2010 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री कमल कुमार बघेल	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-40/गृह-दो/परीक्षा/2010.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग-द्वितीय प्रश्न" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री कमल कुमार बघेल	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-43/गृह-दो/परीक्षा/2010.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्न पत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री विश्वेश कुमार (IFS)	सहा. वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-44/गृह-दो/परीक्षा/2010.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्न पत्र तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री सुनीता केशरवानी	सहा. जन. अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक एफ-9-45/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सभी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेश कुमार भारती	परिवीक्षा अधिकारी	उत्तीर्ण
2.	श्री श्यामसुन्दर रैदास	काउन्सलर	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
3.	श्री सुरेश कुमार बंजारे	उप संचालक	उत्तीर्ण
4.	सुश्री पूजा अग्रवाल	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
5.	श्री एम. लिंगा	सहा. अधी. भू-अभि.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 12 मई 2010

क्रमांक एफ-9-02/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री प्रहलाद द्विवेदी	पंजीयक लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री विलियम एक्का	पंजीयक लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री किरण खलखो	रिकार्ड कीपर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 12 मई 2010

क्रमांक एफ-9-15/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "समाज शिक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेश कुमार भारती	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 12 मई 2010

क्रमांक एफ-9-17/गृह-दो/परीक्षा/2010.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "वन विधि" प्रश्नपत्र-1 (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री विश्वेश कुमार	आई. एफ. एस.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 12 मई 2010

क्रमांक एफ-9-22/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री दीपमाला सैनी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
2.	सुश्री अर्चना झा	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
3.	सुश्री रमा पटेल	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री दीपक कुमार झा	अति. पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
5.	सुश्री पूजा अग्रवाल	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
6.	सुश्री प्रतिभा तिवारी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
7.	सुश्री उनैजा खातून अंसारी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
8.	श्री प्रफुल्ल कुमार किस्पोट्टा	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 12 मई 2010

क्रमांक एफ-9-51/गृह-दो/परीक्षा/2010.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "Insulation Co-Ordination & Hazardous Area" (Without Books) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री, उप अभियंता एवं पर्यवेक्षकों के लिये विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री टिकेन्द्र कुमार देशमुख	उप अभियंता	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री रामजीत सिंह	उप अभियंता	उत्तीर्ण
3.	श्री मनीष कुमार रामटेके	उप अभियंता	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
4.	श्री सतपाल सिंह कंवर	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2010

क्रमांक एफ-9-08/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "समाज कल्याण" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शरद चन्द्र तिवारी	आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय	काउंसलर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री सुरेश कुमार भारती	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
2.	श्री शैलेश कुमार भगत	जिला-अंकेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2010

क्रमांक एफ-9-19/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री दीपमाला सैनी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
2.	सुश्री अर्चना झा	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
3.	सुश्री रमा पटेल	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री देव नारायण पटेल	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
5.	श्री दीपक कुमार झा	सहायक पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
6.	सुश्री पूजा अग्रवाल	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
7.	सुश्री प्रतिभा तिवारी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
8.	सुश्री उनैजा खातून अंसारी	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण
9.	श्री प्रफुल्ल कुमार किस्पोट्टा	उप पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2010

क्रमांक एफ-9-30/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "प्रथम लेखा" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री श्यामसुन्दर रैदास	काउन्सलर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री सुरेश कुमार भारती	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
3.	श्री शैलेश कुमार भगत	जिला आडिटर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 मई 2010

क्रमांक एफ-9-52/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सहा. कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजन, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र सरगुजा

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री भीम सिंह	सहा. कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्रमांक एफ-9-01/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक	अनुविभागीय अधिकारी (रा)	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री के. सी. देवसेनापति	एस. डी. एम.	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री बिहारी लाल जुर्री	अधीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री सुमिता पाण्डे	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्रमांक एफ-9-09/गृह-दो/परीक्षा/2010.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 एवं 20 जनवरी, 2010 को प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र सरगुजा

क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
2.	श्री भीम सिंह	सहायक कलेक्टर	तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्रमांक एफ-9-25/गृह-दो/परीक्षा/2010.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेश कुमार भारती	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री श्याम सुन्दर रैदास	काउन्सलर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री शरद चंद तिवारी	आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
4.	श्री शैलेश कुमार भगत	जिला आडिटर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा		
5.	श्री अंजना रोस बेक	परिवीक्षा	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री विभावना चन्द्राकर	काउन्सलर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्रमांक एफ-9-39/दो/गृह/परीक्षा/2010.—कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "लेखा-प्रथम" (पुस्तकों सहित) द्वितीय-प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री रविन्द्र मून	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्रमांक एफ-9-50/गृह-दो/परीक्षा/2010.—ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2010 को प्रश्नपत्र-5 "ऊर्जा विभाग के प्रश्नपत्र स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री मनीष कुमार राम्टेके	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री रामजीत सिंह	उप अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
3.	श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी	सहा. अभियंता	उत्तीर्ण
4.	श्री सतपाल सिंह कंवर	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 11 जून 2010

क्रमांक एफ-9-44/गृह-दो/परीक्षा/2010.—इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-05-2010 जो जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा; जो दिनांक 22 जनवरी, 2010 को प्रश्न पत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्न पत्र तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित परीक्षार्थी सुश्री सुनीता केशरवानी को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जिनका पदनाम सहा. जन. अधिकारी त्रुटिवश लिखा गया है, के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री सुनीता केशरवानी	सहायक संचालक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक/7451/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	आयबांधा प. ह. नं. 40	0.085	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग, राजनांदगांव.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2010

क्रमांक 18/अ-82/08-09/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मोढ़े प. ह. नं. 17	0.566	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग क्रमांक 02, बिलासपुर.	मोढ़े पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्रमांक 07/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	भिलाई	1.499	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी. सीपत.	राखड़ बांध के डिस्चार्ज चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प.ह.नं. 17	1.531	कार्यपालन अभियन्ता, लो. नि. वि. चांपा संभाग, चांपा.	सरहर कुम्हारी कलॉ मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक 01/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	कोनार प.ह.नं. 5/1	5.43 एकड़	कार्यपालन अभियन्ता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	खुटीघाट एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तिवारी, प्रभारी कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 अगस्त 2010

क्रमांक/02/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में बर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दीं जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	मऊ प. ह. नं. 40	0.72	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मऊ जलाशय में प्रभावित

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्रमांक/04/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	भिलौनी प. ह. नं. 27	1.49	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग बिलासपुर, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	बिगुवा जलाशय योजना निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्रमांक/05/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	झुलना प. ह. नं. 27	3.29	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग बिलासपुर, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	बिगुवा जलाशय योजना निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2007-08.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा द्वारा ग्राम-लिंजिर, प. ह. नं. 25, तहसील-पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 13.963 हे. केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 16-11-2007 तथा दिनांक 28-03-2008 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित भूमि से निम्नांकित भूमि नहर निर्माण योजना में सम्मिलित नहीं है तथा त्रुटिपूर्ण प्रकाशन के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-लिंजिर

क्रमांक (1)	खसरा नं. (2)	रकबा (3)	क्रमांक (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	क्रमांक (7)	ख. नं. (8)	रकबा (9)
1.	583/3	0.081	10.	143/6	0.632	19.	146	2.023
2.	361/2	0.003	11.	129/21 क	0.069	20.	129/5	1.267
3.	593	0.003	12.	143/3	0.364	21.	134	2.023
4.	481/1	0.004	13.	129/6 क	0.801	22.	144/3	2.023
5.	129/1	1.153	14.	64	2.509	23.	143/5	0.364
6.	142/2	2.023	15.	141	2.023	24.	129/7	0.142
7.	143/26	0.356	16.	133	1.135	25.	138	2.023
8.	143/1	0.486	17.	135	2.023	26.	143/20	0.182
9.	139/3 क	0.802	18.	65	0.691	27.	129/29	0.149
						कुल योग	**27**	**25.354**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2007-08.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा द्वारा ग्राम-तेतला-I, प. ह. नं. 29, तहसील-पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 4.185 हे. केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 16-11-2007 तथा दिनांक 28-03-2008 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को राजपत्र प्रकाशन में गलत प्रकाशित होने के फलस्वरूप योजना से बाहर की कार्यवाही किया जाना है. अतएव भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-तेतला-I

क्रमांक (1)	खसरा नं. (2)	रकबा (3)
1.	10/1	0.025
2.	95/2	0.081
3.	10/2	0.222
4.	106/3	0.040
	योग	**0.368 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2007-08.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा द्वारा ग्राम-तेतला-2, प. ह. नं. 29, तहसील-पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 5.236 हे. केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 30-11-2007 तथा दिनांक 28-03-2008 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को प्रकाशन में त्रुटि होने के फलस्वरूप योजना से बाहर कर पृथक से पूरक प्रकरण तैयार की कार्यवाही किया जाना है. अतएव भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-तेतला-2

क्रमांक (1)	खसरा नं. (2)	रकबा (3)
1.	424/1 म	0.030
	योग	**0.030**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2007-08.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा द्वारा ग्राम-केनसरा, प. ह. नं. 29, तहसील-पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 5.921 हे. केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 30-11-2007 तथा दिनांक 28-03-2008 को कराया गया है.

चूंकि अत्र कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को प्रकाशन में त्रुटि होने के फलस्वरूप योजना से बाहर की कार्यवाही किया जाना है. अतएव भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-केनसरा

क्रमांक (1)	खसरा नं. (2)	रकबा (3)
1.	100/4/3	0.008
2.	1040/1	0.196
3.	1066/3	0.040
4.	1051/2	0.128
	कुल योग	**0.372 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सूपा प. ह. नं. 38	2.195	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया).	केलो परियोजना के कठली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कठली प. ह. नं. 39	2.269	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया).	केलो परियोजना के कठली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बड़े भंडार प. ह. नं. 39	3.872	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया).	केलो परियोजना के कठली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बरपाली प. ह. नं. 38	2.555	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया).	केलो परियोजना के कठली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	चिखली प. ह. नं. 38	5.811	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया).	केलो परियोजना के कठली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छोटे भंडार प. ह. नं. 39	2.833	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया).	केलो परियोजना के कठली वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जेवरीडीह प. ह. नं. 39	0.254	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया).	केलो परियोजना के कठली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तिलगी प. ह. नं. 38	4.126	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया).	केलो परियोजना के कठली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक/1617/अ.भू.-अं.प्र./10/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमतरा, प. ह. नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	229	0.53
योग	1	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नंदौरी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 30 जुलाई 2010

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रतिया, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.415 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3/5	0.028
	364/3	0.044
	368/1	0.073
	370/1	0.085
	372	0.032
	373/1	0.065
	373/2	0.048
	373/3	0.040
योग	8	0.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतिया व्यपवर्तन योजना के नहर क्षेत्र निर्माण में आने वाली भूमि का पूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 4 अगस्त 2010

क्रमांक/1601/कले./भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बीजापुर
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बीजापुर, प. ह. नं. 25
  (अ) बीजापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.00 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	88/2	5.00
योग	1	5.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सर्किट हाउस बीजापुर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2010

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-उड़ांगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.84 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	572	0.33
	573/2	0.18
	574	0.33
योग	3	0.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2010

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-जेवरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.18 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	110/2	0.70
	676/1	0.48
योग	2	1.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फुटामुड़ा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जुलाई 2010

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-चिल्हाटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
155	0.20

(1)	(2)
162/3	0.10
163/1	0.97
164	2.95
165	0.25
166	0.40
167/1	0.25
167/2	0.25
168	0.35
169	0.42
302/1	0.26
302/2	0.26
304	0.25
305/1	0.10
306/1	0.10
306/2	0.10
307	0.20
310	0.60
311	0.32
315	0.22
323/2	0.55
योग 21	9.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमराडीह जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-ब्रसहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
358	0.26
359/1	0.10
359/2	0.11
359/3	0.07
362	0.15
384/1	0.14
384/2	0.20
384/3	0.24
384/4	0.29
385	0.04
387	0.16
391/1	0.06
391/2	0.06
392	0.15
394/2	0.13
394/3	0.13
योग 16	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सिहा, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.312 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
317/2	0.016
321/4	0.109
330/1	0.101
346/1	0.081
349/1	0.170
351	0.012
356	0.024
331	0.182
321/3	0.041
321/17	0.016
330/3	0.109
347/2	0.097
353/2	0.029
353/1	0.029
358	0.145
346/4	0.036
321/2	0.057
321/8	0.032
330/2	0.101
359/1	0.032
349/2	0.016
352	0.093
357/1	0.016
346/3	0.036
321/7	0.036
321/22	0.113
330/4	0.210
348	0.182
350	0.041
361/2	0.005
360	0.145
योग 31	2.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से छिछोर उमरिया वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोतरा, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.525 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रक़बा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112/1 क	0.097
117	0.130
237/3	0.012
238/3	0.012
239/3	0.022
169	0.016
119	0.049
277/1	0.223
147/5	0.028
159/3	0.093
163/1	0.174
163/2	0.036
145	0.226

(1)	(2)
141/2	0.045
142	0.049
144	0.012
262/1	0.081
143/3	0.947
147/4	0.129
147/1	0.162
147/2	0.401
174/1 ग	0.034
147/8	0.223
147/3	0.073
147/7	0.178
147/9	0.049
176/2	0.057
158/1 क	0.109
167	0.097
269	0.016
176/3	0.291
266/1 ग	0.026
237/1	0.089
238/1	0.222
239/1	0.109
266/1 क	0.027
240/1	0.154
263/1	0.107
255/1	0.057
276/2	0.061
256/1	0.109
256/2	0.020
257/1 क	0.041
255/2 छ	0.193
260/1 ख	0.017
264/1	0.109
275	0.006
264/3	0.008
264/5	0.057
271/3	0.255
265/2	0.142
268/4	0.028
255/27 क	0.081
270/4	0.101
271/1	0.101
271/4	0.113
272/1	0.004
277/3	0.119
278/3	0.053
278/4	0.008
159/1	0.032
261/1	0.033
159/4	0.065
159/5	0.040
168/1	0.052
270/3	0.243
270/1	0.120
168/2	0.045
260/1 क	0.016
170/3	0.069
170/4	0.069
170/8	0.057
174/1 ख	0.047
276/3	0.057
175/1	0.178
256/1	0.044
279/1	0.049
118	0.109
159/7	0.029
278/2	0.036
278/1	0.020
279/2	0.032
280/1	0.227
280/2	0.198
116	0.081
159/9	0.081
170/5	0.008
योग 87	8.525

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- केलो मुख्य नहर से धनगांव वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुरमापाली, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.409 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199/4	0.041
439/1	0.081
442/1	0.032
442/4 क	0.024
585/1	0.008
585/3 क	0.028
586/2 क	0.040
442/2	0.032
586/1	0.283
446/3	0.160
586/2 ख	0.279
442/3	0.016
442/4 ख	0.062
445/1 क	0.097
445/1 च	0.129
445/1 ङ	0.004
516	0.113
517	0.101
545/1 ड	0.020
545/1 ख	0.032
545/1 ङ	0.053
545/1 ञ	0.061
522/2	0.028
545/1 ट	0.028
545/2 क	0.028
545/2 ख	0.020
446/1	0.067
446/2	0.150
512/2 छ	0.069
512/2 च	0.069
514/2	0.052
514/3	0.280
515/3	0.275
512/2	0.069
518/1	0.016
520	0.097
521	0.027
522/1 क	0.028
523/1	0.110
532/1	0.065
532/2	0.041
533	0.101
534/3	0.089
535/1	0.055
535/2	0.053
535/3	0.052
536/1 क	0.051
536/1 ख	0.018
536/2	0.081
583/1	0.053
584	0.089
585/4	0.032
585/5	0.027
585/6	0.041
585/2	0.016
508/2	0.069
507/1	0.081
511/1	0.024
512/2 क/1	0.065
512/2 ड/1	0.020
512/2 ड/2	0.049
512/2 क/2	0.044
583/2	0.012
512/3 ख	0.036
512/3 ग	0.036
योग 65	4.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-. केलो मुख्य नहर से धनगांव वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. . अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन. के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-लैलूंगा
(ग) नगर/ग्राम-कुपाकानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.109 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	515	0.024
	509/2	0.219
	548	0.186
	594	0.283
	509/1	0.259
योग	5	1.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुपाकानी जलाशय योजना की बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-लैलूंगा
(ग) नगर/ग्राम-कुपाकानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.596 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	515	0.324
	564	0.016
	780	0.324
	752/1	0.008
	565/2	0.219
	772	0.146
	774/4	0.231
	791	0.235
	771	0.093
योग	9	1.596

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुपाकानी जलाशय योजना की दायीं तट नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-लैलूंगा
(ग) नगर/ग्राम-कुपाकानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.308 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
751	0.223

(1)	(2)
742	0.219
752/1	0.101
805/1	0.138
795	0.202
806/2	0.425
योग 6	1.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुपाकानी जलाशय योजना की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-गहनाझरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.972 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8	0.524
24	0.769
30	0.271
23/2	0.016
9/1	0.012
25	0.425
31	0.437
9/2	0.016
26	0.739
23/1	0.012
9/4	0.225
29/1	0.526
योग 12	3.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहनाझरिया जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-गहनाझरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.580 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1210/1	0.024
1245	0.300
1242	0.160
1248	0.607
1234	0.800
1246	0.180
1237	0.570
1254	1.560
1210/8	0.008

	(1)	(2)
	1247	0.230
	1235	0.600
	1255	0.202
	1211/1	0.813
	1232	0.016
	1241	0.100
	1243	1.010
	1244	0.400
योग	17	7.580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहनाझरिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-लैलूंगा

(ग) नगर/ग्राम-मोहनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.331 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15/8	0.040
25/1	0.097
84/3	0.186
76/5	0.010
259/2	0.097
25/2	0.097
84/4	0.016
81	0.028
333	0.024
74	0.081
260/2	0.040
26	0.101
17	0.101
22/3	0.279
65/3	0.008
76/3	0.101
66	0.032
57/4	0.053
65/5	0.121
82/2	0.138
289	0.006
52/1	0.745
259/1	0.235
84/2	0.134
334	0.045
23	0.182
259/3	0.142
277/1	0.081
276/1	0.142
258	0.008
259/8	0.032
284	0.016
276/2	0.190
268/1	0.105
259/7	0.004
286	0.134
296	0.158
269/2	0.074
267/1 ग	0.012
287	0.032
295	0.154
59/1	0.024
269/1	0.061
288	0.065
332/2	0.040
59/4	0.020
272/1	0.040
300/1	0.008
331/3	0.073
76/6	0.113
271/1	0.081
300/2	0.271
331/1	0.162

(1)	(2)
82/1	0.049
272/2	0.016
302	0.045
76/1	0.008
80/2	0.024
योग 58	5.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - झगरपुर जलाशय योजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-लैलूंगा
(ग) नगर/ग्राम-झगरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.091 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
386	0.008
393/1	0.202
397/1	0.073
400	0.053
388	0.016
396/2	0.101
397/3	0.129
401/4	0.008
392/1	0.012
396/4	0.008
398/1	0.024
394/2	0.012
392/3	0.040
396/3	0.219
398/2	0.186
योग 15	1.091

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - झगरपुर जलाशय योजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-तमनार
(ग) नगर/ग्राम-लमदरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.456 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
56	0.029
61	0.025
58	0.032
62	0.037
59	0.085
63	0.053
60	0.179

	(1)	(2)
	133/1	0.016
योग	8	0.456

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गारे, लमदरहा मार्ग पर केलो नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-खर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.357 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	77	0.261
	81	0.096
योग	2	0.357

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमनार, पेलमा, सक्ता मार्ग पर केलो नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-पोटेबिरनी, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.066 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
133	0.032
136	0.364
219	0.270
140	0.140
149	0.148
132	0.080
150	0.408
214	0.064
218	0.072
194	0.004
195	0.236
196/1	0.912
291	0.148
296	0.120
24	0.236
21	0.078
7	0.032
8	0.160
14	0.120
53	0.274
55	0.008
52	0.008

	(1)	(2)
	74	0.152
योग	23	4.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पोटेबिरनी व्यपवर्तन योजना के डूबान मुख्य नहर शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-सरडेगा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.255 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	29/3	0.032
	29/5	0.162
	29/11	0.117
	40/3	0.057
	40/1	0.069
	39	0.085
	118/3	0.020
	119/2	0.137
	121/1	0.057
	121/2	0.081
	121/3	0.162
	217	0.364
	221	0.129
	424/3	0.142
	222	0.012
	275/5	0.149
	275/4	0.142
	275/3	0.367
	275/2	0.049
	290/1	0.324
	289	0.138
	285/2	0.085
	286/1	0.057
	424/7	0.101
	286/2	0.129
	324/2	0.012
	424/8	0.020
	286/4	0.016
	288	0.020
	426	0.020
योग	30	3.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गहनाझरिया जलाशय योजना के अंतर्गत सरडेगा दायीं तट नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-झरन, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.520 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
139/3	0.420
4/2	0.422
139/5	0.440
6/5	0.055
7/1	0.012
139/1	0.202
139/4	0.377
4/1	0.562
139/2	0.243
139/6	0.190
139/7	0.175
141	0.068
138/12	0.148
138/12	1.132
142/2	0.036
143/1	0.004
139/9 क	0.243
139/9 ख	0.162
1/2	1.232
143/7	0.088
144	0.058
145	0.004
147	0.008
298	0.308
293/5	0.196
293/4	0.076
296	0.156
301/5	0.012
321/2	0.036
319/2	0.016
314/2	0.116
312	0.028
315	0.004
316	0.008
269	0.056
266	0.164
262/3	0.012
262/1	0.068
264/1	0.032
250	0.156
362	0.162
364/6	0.052
366/6 क	0.162
366/5	0.008
366/3	0.036
366/9	0.101
367/4	0.052
366/12	0.004
375/1	0.062
314/1	0.156
योग 50	7.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झरन जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र एवं दायीं तट नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कृषि (पशुपालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह, भवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/360/निर्वाचन/27.—छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 2005 भाग-2 नियम-तीन (8) के अनुसरण में, निर्वाचन अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी नामावली सूची में शामिल व्यक्तियों से चार (4) सदस्यों का चुनाव कराने के लिए

निम्नलिखित तारीख निर्धारित की जाती है :—

1.	नाम निर्देशन फार्म प्राप्त कर जमा करने की प्रारंभ तिथि	–	राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित दिनांक से
2.	नाम निर्देशन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	–	03 सितम्बर 2010 (शुक्रवार) (सायं 5.00 बजे तक)
3.	नामांकन पत्रों की जांच	–	04-09-2010 (शनिवार)
4.	अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अंतिम तारीख	–	06-09-2010 (सोमवार) सायं 5 बजे तक
5.	डाक मतपत्र से मतदान एवं डाक मतपत्र कार्यालय रजिस्ट्रार छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् रायपुर में पहुंचने की अंतिम तिथि	–	11-10-2010 (सोमवार) सायं 5 बजे तक
6.	मतों की गणना तथा परिणामों की घोषणा तिथि	–	12-10-2010 (मंगलवार)
7.	नाम निर्देशन फार्म प्राप्त करने का स्थान	–	कार्यालय संयुक्त संचालक/उपसंचालक, प.चि.से. जिला समस्त एवं कार्यालय रजिस्ट्रार छ.ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् रायपुर.
8.	नाम निर्देशन फार्म जमा करने का नियत स्थान	–	कार्यालय रजिस्ट्रार छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् रायपुर (छ. ग.)

छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के चुनाव में भाग लेने के लिए 16-08-2010 की स्थिति में जारी नामावली सूची अनुसार पात्र उम्मीदवार प्रपत्र-तीन में अपना नामांकन भर सकते हैं. नामांकन फार्म व्यक्तिश: निर्वाचन अधिकारी कार्यालय रजिस्ट्रार छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् गुरु तेग बहादुर उद्यान के सामने, जी. ई. रोड, रायपुर के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समयावधि में प्रस्तुत करेंगे.

हस्ता./-

(डॉ. डी. के. सियार)
रिटर्निंग आफिसर.

नाम निर्देशन-पत्र

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का संख्या 52) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिए निर्वाचन.

1.	अभ्यर्थी का नाम	:-	....
2.	पिता का नाम	:-	....
3.	आयु तथा जन्म की तारीख	:-	....
4.	अर्हता की प्रकृति	:-	....
5.	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक (जो राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में हो)	:-	....
6.	राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर का या उसके अनुपूरक रजिस्टर का वर्ष का उल्लेख करते हुए पृष्ठ संख्या जिसमें नाम आया हो.	:-	....
7.	नामावली में क्रम संख्या	:-	....

8. पता गृह क्रमांक/ब्लाक/गली क्रमांक/ग्राम/नगर/डाकघर/ :- ....
पिनकोड :- ....
9. प्रस्तावक का नाम :- ....
10. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :- ....
11. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में प्रस्तावक का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और उक्त रजिस्टर का या उसके अनुपूरक रजिस्टर का (वर्ष का उल्लेख करते हुए) पृष्ठ क्रमांक जिसमें नाम आया हो. :- ....
12. नामावली व क्रम संख्या :- ....
13. समर्थक का नाम :- ....
14. समर्थक के हस्ताक्षर :- ....
15. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में समर्थक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और उक्त रजिस्टर का या उसके अनुपूरक रजिस्टर का (वर्ष का उल्लेख करते हुए) पृष्ठ संख्या जिसमें नाम आया हो. :- ....
16. नामावली में क्रम संख्या :- ....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं इस नाम निर्देशन के लिए अपनी अनुमति (सहमति) देता हूं.

....
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे .... (स्थान) में ....
(तारीख) .... को (बजे) .... प्राप्त हुआ.

....
(रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर)

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 11th August 2010

No. 399/Confdl./2010/II-3-1/2010.—The following Civil Judge Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below is, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column

No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office, viz. :-

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Umesh Kumar Chauhan, II Civil Judge Class-II.	Dhamtari	Kurud	Dhamtari	II Civil Judge Class-II, Dhamtari at Kurud.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.